

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक भौतिक्स्ट्रॉट, न्यायालय सं0-1, उन्नाव।

उपरिभूत— भलका यादव, (उत्तर प्रदेश—न्यायिक सेवा)

फौजदारी मुकदमा सं0-800 / 2006

सज्ज प्रति 1—मदन सिंह पुत्र विश्वाम सिंह

2—वीर सिंह पुत्र मदन सिंह

निवासी गण याम कुशराजपुर, धाना बौगरमउ, जिला उन्नाव।

धारा— 324, 323, 504 भा.द.सं

धाना-बौगरमउ, जिला उन्नाव।

एन.सी.आर. सं0-139 / 2004

निष्ठा

अभियुक्त गण मदन सिंह एवं वीर सिंह के विरुद्ध धाना बौगरमउ, जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा धारा— 324, 323, 504 भा०द०सं० के अपराध का आरोप—पत्र न्यायालय के विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथनाक इस प्रकार है कि, प्रार्थी ने थाने पर जुदानी सूचना दर्ज करायी कि प्रार्थी के गौव के मदन व वीर सिंह व एक अन्य रिस्तेदार ने मिल कर प्रार्थी को लाठी डंडो व तब्ल के बेत से मारा पीटा, बुरी बुरी गालियाँ दी। उसकी पुरानी रंजिश अभियुक्त लोगो से चल जा है। लल्लू व लाल सिंह व मोहल्ले के लोगो ने देखा व बचाया। सिर में चोटे आयी है।

प्रार्थी के सूचना के आधार पर एन.सी.आर. में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसका इन्द्राज जी.डी. मे किया गया। मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी, जिन्होने गवाहो के बयान अकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा—नजरी प्रदर्श क-2 बनाया, तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 324, 323, 504 भा०द०सं० मे आरोप पत्र प्रदर्श क-3 न्यायालय मे प्रेषित किया।

आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अभियुक्त गण मदन सिंह एवं वीर सिंह के विरुद्ध धारा 324, 323, 504 भा.द.सं. मे प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकल दी गयी।

अभियोजन के ओर से पी०डब्लू०-१ राधा कृष्ण, पी०डब्लू०-२ लाल सिंह, पी०डब्लू०-३ एस.आई. राज नरायन शुक्ला एवं पी०डब्लू०-४ उमा शंकर शुक्ला, ए.आर.ओ. को परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०-१ राधा कृष्ण, पी०डब्लू०-२ लाल सिंह, पी०डब्लू०-३ एस.आई. राज नरायन शुक्ला एवं पी०डब्लू०-४ उमा शंकर शुक्ला, ए.आर.ओ. को परीक्षण कराया गया है।

द०प्र०स० लेखदृष्टि किया गया। अभियुक्तगण ने अपने व्याप में घटना को गलत और कोई साफ पीट न होने वाहान हारा दी गयी गवाई को गलत, गलत आरोप पत्र प्रेषित करना, लाकड़ी में अपना साथ्य न प्रसुत करने तथा अपने अन्य कथन में कुछ नहीं कहा है।

विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त गण के विद्वान् अधिकारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समर्त साथ्य का सम्मान रूप से परिशीलन किया।

अभियुक्तगण उपरोक्त के विषद् धारा 324, 323, 504 गोड़ा में आरोप विरचित किया गया है।

उक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साड़ी वाली मुकदमा पीडब्लू-1 साथा कृष्ण ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना आज से साढ़े पाँच साल पहले दिन के तीन बजे की है। वीर सिंह व मदन सिंह घटना के कुछ दिन पहले शराब पीने के लिये पैसे मांगे थे। उसने पैसे देने से मना कर दिया था। इसलिये उससे रंजिश मानते थे। इस बात को लेकर घटना वाले दिन व समय दोनों ने अपने रिपोर्टोर के साथ मिल कर उससे मार पीट की थी। वीर सिंह ने लाठी से कन्धे पर मारा था व मदन सिंह ने तब्ल से कान के उपर सर पर मारा था। उसका सिर कट गया था, खून बहा था, गाँव के नाल सिंह व लल्लू शोर पर आ गये, घटना देखी और बीच बचाव किया। यह घटना उसके घर जाने समय सड़क पर स्थित देवी जी के चबूतरे के पास घटित हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाना व गमरठ में दर्ज करायी थी। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका व्यापार निया था। एन.सी.आर.की प्रमाणित प्रति पर उसके हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि थाने पर स्थित करने साढ़े 6 व 7 बजे पहुँचे थे। जाते ही जुबानी रिपोर्ट थाने के मुशी जी को लिखायी थी। वह बोलता जाता था और मुशी जी लिखते जाते थे। मुशी जी ने लिखकर उसके हस्ताक्षर कराये थे। वह कामज गुशी जी ने पढ़कर नहीं सुनाया था। वह पाँचवे तक पढ़ा है और हिन्दी पढ़ लिख लेता है। वह तीन बजे दोपहर बाद मारा गया था। घटना के पूर्व उसने शराब पीने के लिये मुलजिमान को कहीं कांड़े पैसे नहीं दिये थे। उसी दिन के एक दिन पहले शराब पीने के लिये मुलजिमान ने पैसे मांगे थे। यह बात उसने अपनी रिपोर्ट में लिखायी थी और दरोगा जी को अपने व्याप में बताया था। अगर दोनों जगह उक्त बात नहीं लिखी है तो वह उसकी बजह नहीं बता सकता है। उसकी मुलजिमान से रंजिश थी। उसके पिता की मौसी राम प्यारी को मुलजिम मदन सिंह भगा कर नहीं ले गया था। मुलजिम मदन सिंह तब्ल को घार की तरफ से उरों गए थे। बैट की तरफ से नहीं मारा था। उसने अपनी रिपोर्ट में तब्ल के बैट से मारे जाने वाली बत नहीं लिखायी थी, बल्कि यह लिखाया था कि तब्ल की धारदार वाले भाग को उसे मारा गया था और यही व्याप दरोगा जी को बताया था। केवल लाठी डन्डे से मार पीट होना दरोगा जी को नहीं बताया था, बल्कि तब्ल और लाठी से मार पीट होना बताया था। वीर सिंह ने लाठी से कुछ भर मार था

व मदन शिंह ने तब्बल बाम के उपर सिर पर मारा था। ये तब बाते उसकी रिपोर्ट व उसके बयान में नहीं लिखी है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता है। घटना बाले दिन खेत से लौटते समय वह मारा गया। यह खेत उसके घर के पूरब से एक किलोमीटर के पौर्णस्तर पर है। वह पैदल गया था। वह खेत 10 विशुद्ध का है। वह साढ़े 12 बजे घर से खेत देखने गया था और कोई काम नहीं था। रास्ते में कोई आवादी नहीं है। सड़क है। खेत से पौने एक किलोमीटर चला आया था तब उसे मारा गया था। जिस जगह मारा गया था, वही आस पास मकान है। मैंने पर आस पास के दो तीन आदमी आये थे। इनके अलावा लल्लू व लाल सिंह आये थे। लोगों ने अभियेक, सुपाठी, लाल सिंह थे। इन्होंने घटना नहीं देखी। किर कहा घटना रण्जन आये थे इनके नाम रिपोर्ट में नहीं लिखाये थे। लल्लू व लाल सिंह के मकानात घटनास्थल से 50 मीटर दूर थे। घटना स्थल के आस पास 10-15 मकान हैं। उन मकानात में रहने वालों ने से भीक पर न कोई आया, न ही उसे बताया। वह मार पीट के दीरान न सड़क पर गिरा न राड़क पर खून गिरा। कपड़ों में खून लगा था। खून भरे कपड़े दरोगा जी को दिखाये थे और वे ले गये थे। खून भरे कपड़े के लेने की फर्द उसके सामने नहीं लिखी थी। कपड़े लेने के न कोई उससे हस्ताक्षर बनवाये थे। यह कहना गलत है कि दुश्मनी के कारण मुलजिमान को उसने झूठा नामजद किया और पुलिस से मिल कर फर्जी रिपोर्ट लिखायी हो।

साक्षी पी.डब्ल्यू-2 लाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। इसलिये नहीं बता सकते कि किसने किसे नारा। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्वाही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि घटना के समय वह बौंगरमउ में था। बौंगरमउ से 4-5 बजे शाम लौटा था और सुबह 10 बजे बौंगरमउ गया था। लौट कर आये तब राधा कृष्ण उसे नहीं मिले, वह दूसरे गाँव में रहा है। मदन व वीर सिंह भी नहीं मिले थे। आस पास गाँव के लोग हैं जिससे जानकारी हुई कि राधाकृष्ण से मदन सिंह व वीर सिंह का झगड़ा हुआ था। वह नहीं बता सकता कि तब्बल से किसने किसको मारा था। दरोगा जी धाने बुलाएँ पूछ तांछ की थी। उसने यही बात बतायी थी जो आज बता रहा है। अगर उन्होंने उसके बयान कुछ और लिखा है तो उसकी वजह नहीं बता सकता है।

अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्ल्यू-3 एस.आई. राज नरायन शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने मुकदमा एन.सी.आर. 139/03 धारा 323, 504, 506 आदि में विवेचना के आदेशानुसार ग्रहण करते हुये नकल घिक एन.सी.आर. व नकल रपट कायमी बयान एन.सी.आर. लेखक दर्ज किया। 12.12.04 को बयान बादी लनेकर उसके निशादेही पर भीका मुआइना करके नक्शा नजरी बनाया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। ऐसी साक्षियों के बयान लेकर इंजरी रिपोर्ट की नकल की बयान अभियुक्त गण व गवाहान के बयान लेकर आरोप पत्र सं0-1416/५ न्यायालय में प्रेषित किया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। नक्शा नजरी व आरोप पत्र १२ कमशि प्रदर्श क-२ व ३ ढाला गया। मुकदमे की कायमी व एन.सी.आर.

की गोपी रामधान वर्षी द्वारा की गयी जिसकी प्रदर्शन मुकदमा पत्रावली में संलग्न है, जिस पर प्रदर्शन क-4 डाला गया। एन.सी.आर. की प्रमाणित प्रति पर प्रदर्शन क-1 डाला गया।

साक्षी पी.डब्लू.-4 उमा शंकर ए.आर.ओ. ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 30.05.03 को ए.आर.ओ. के पद पर कार्यरत था। दिनांक 30.05.03 को डा. वाई.एस. राधान द्वारा की आवाहनी परीक्षण व मेडिकोलीगिक रिजस्टर लेकर आया है। मजारब राधाकृष्ण का चिकित्सीय परीक्षा तत्कालीन ईएम.ओ. डा. वाई.एस. राधान द्वारा किया गया जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्हे लिखते पढ़ते चर्चने देखा है। इजरी रिपोर्ट पर प्रदर्शन क-4 डाला गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिये जाने के आधार पर एन.सी.आर. पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पत्रावली में एन.सी.आर. की प्रति संलग्न है, जिस पर प्रदर्शन क-1 डाला गया है, जिसमें वादी के तहरीर समय अदम के आधार पर एन.सी.आर. दर्ज कराया जाना अंकित है। उक्त एन.सी.आर. में तब्बल की बेट से अभियुक्तगण द्वारा मारे जाने का कथन किया गया है। यद्यपि कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन किया गया है कि उसने थाने पर जुबानी सूचना दी थी, जबकि पत्रावली में एन.सी.आर. की प्रति जो संलग्न है, उसमें तहरीर के आधार पर एन.सी.आर. पंजीकृत किया जाना अंकित है।

बचाव पक्ष द्वारा इस तर्क पर विशेष बल दिया गया है कि एन.सी.आर. में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होना कहा गया है किन्तु कोई तहरीर पत्रावली में संलग्न नहीं है। भाष्य ही भाष्य एन.सी.आर. में घटना के समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और समय अदम अंकित किया गया है। ऐसे में अभियोजन कथानक पूर्णतयः मनगढ़न्त है।

साक्षी पी.डब्लू.-1 राधा कृष्ण जो कि प्रस्तुत वाद के वादी मुकदमा है, के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन किया गया है कि आवादी के पास घटना है। घटना स्थल के आस पास 10-15 लोगों का नकान होना भी कहा गया है तथा साक्ष्य के पेज नं-5 पर प्रथम लाइन में गवाहो/लोगों में अभिषेक, सुपाड़ी लाल, लाल सिंह को मौके पर होना कहा गया है, किन्तु उक्त समयी साक्षियों में से मात्र लाल सिंह को बताये पी.डब्लू.-2 अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, जिसे कि पक्षद्वाही साक्षी घोषित किया गया है। घटना आवादी के पास की है। समय लगभग दिन के 3 बजे होना कहा गया है, किन्तु घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है।

जहाँ तक घटना के समय का सम्बंध है, तो उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी मुकदमा ने अपनी मौखिक साक्ष्य में दोपरह वाद तीन बजे की घटना होना कहा है। यद्यपि को एन.सी.आर. में घटना के समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पत्रावली में चौटहिल राधाकृष्ण की चिकित्सीय आख्या संलग्न है। उक्त चिकित्सीय आख्या के चिकित्सक की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें परीक्षित नहीं कराया गया है। बल्कि उनके लेख व हस्ताक्षर की पहचान हेतु

13

उनमा शक्ति ए आरओ. को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा चिकित्सक वाईएस. संधान को लिखते पढ़ते थे जाने व उनके लेख व हस्ताक्षर से परीक्षित होने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा इनी रिपोर्ट का मिलान अभियोजन लोगल रजिस्टर में सलग्न कार्डन प्रति से प्रमाणित कराया गया है, जिस पर प्रदर्शन क-५ डाला गया है। यद्यपि कि वादी मुकदमा को जो चोटे आई हैं, उनमें से बोट नं०-२ धारदार हाथियार से आना तथा चोट सं०-१ बनन्ट आब्जेक्ट से आना लगा गया है तथा दोनों ही चोटे साधारण प्रकृति की है, किन्तु अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिनके द्वारा कथित घटना देखी गयी हो अथवा घटना के समय वह घटना स्थल पर मौजूद रहा हो। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.-२ को समयी साक्षी होने के आधार पर परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा अपने समक्ष घटना के घटित होने से पूर्णतयः इन्कार किया गया है। आस पास गोव के लोगों से वादी मुकदमा व अभियुक्तगण के मध्य झगड़ा होने की जानकारी होना उसके द्वारा अपनी साक्ष्य में कहा गया है। ऐसे में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के एक मात्र स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

जहाँ तक धारा 504 भा.द.सं के आरोप का सम्बंध है, वादी मुकदमा द्वारा अपनी साक्ष्य में न तो मुख्य परीक्षा में, न ही प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को बुरी बुरा गालियाँ देकर शास्त्र अपमानित किया गया हो। इस प्रकार धारा 504 भा.द.सं का आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध सायित करने में अभियोजन अराफल रहा है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मदन सिंह एवं वीर सिंह के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 324, 323, 504 भा०द०स० को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण मदन सिंह एवं वीर सिंह को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण मदन सिंह एवं वीर सिंह को संदेह का लाभ देते हुये धारा 324, 323, 504 भा०द०स० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(अलका यादव) १२/०५/२०१९
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०-१, उन्नाव।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया ।

(A.M. 22/05/19)
(अलक्ष्मी यादव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०-१, उन्नाव ।

दिनांक 22.05.2019

*महाराष्ट्र
मध्यनिधि*